**3॰निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जानेवाली कार्यविधि जिसमें पर्यवेक्षण और उत्‍तरदायित्‍व के माध्यम सम्मिलित है,**

कंपनी के समग्र प्रबंधन कार्य कंपनी के निदेशक मंडल पर निहित है। यह कंपनी के भीतर निर्णय लेनेवाले सबसे उच्‍च निकाय है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कुछ मामले में कंपनी की वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्‍यकता है। निदेशक मंडल कंपनी के शेयरधारकों के लिए उत्‍तरदायी है। केआईओसीएल सार्वजनिक उद्यम (पीएसई) होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल भारत सरकार के लिए भी उत्‍तरदायी है।

कंपनी के दैनिक प्रबंधन कार्य अध्‍यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशक और कंपनी के अन्‍य अधिकारियों को सौंपा गया है, जो उन्हें प्रत्‍यायोजित शक्तियों के अनुसार अपना निर्णय लेंगे। कंपनी में निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में एक सुपरिभाषित प्रणाली है। सामान्‍यत: वित्‍तीय प्रभाविता, अति आवश्‍यकता, मामले की महत्‍ता के आधार पर निर्णय लेने के प्रस्‍ताव का प्रारम्‍भ उपयुक्‍त स्‍तर के कार्यपालकों से होता है, जहॉं आवश्‍यकता हो, प्रत्‍यायोजित शक्तियों के अनुसार उपयुक्‍त स्‍तर पर वित्‍त की सहमति ली जाती है। ऐसे मामले जिन्‍हें दो से अधिक विभागों द्वारा विचार करने की आवश्‍यकता है, संबंधित विभागों के उपयुक्‍त स्‍तर के कार्यपालकों से सम्मिलित बहु-अनुशासनिक समिति निर्णय लेने में तेज़ी लाने के लिए गठित की जाती है। अध्‍यक्ष सह प्रबंध निदेशक को प्रत्‍यायोजित शक्तियों के परे के मामले में निदेशक मंडल अनुमोदन देता है।